न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/17 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017/00096

उनवानी :–

1. देवराज दत्तक पुत्र झम्मन जाति जाट निवासी चितोकरी तह. व जिला भरतपुर

––––––––––अपीलांट

बनाम

1.रेवती पुत्र बुद्धा जाति कोली निवासी चितोकरी तह. व जिला भरतपुर
2.मानसिंह पुत्र बुद्धा जाति कोली निवासी चितोकरी तह. व जिला भरतपुर

––––––––––––––––रेस्पो

अपील अन्तर्गत धारा223 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 वमुकदमा उनवानी देवराज बनाम रेवती अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नं. 146/2011 न्याया. उपखण्ड अधिकारी महोदय भरतपुर (कैम्प कोर्ट झारौली)

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार एड.

2– वकील रेस्पोडेन्ट श्री विजयसिंह कुन्तल एड.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–05.04.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 241/0.19है0 वाके ग्राम चितकोरी तहसील भरतपुर व जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.17 को बहस हेतु नियत था, लेकिन नियत दिनांक के पूर्व ही कैम्प कोर्ट में 18.05.17 को वाद खारिज कर दिया । कैम्प की सुनवाई हेतु अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुये और उसके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर उसकी उपस्थिति अंकित करते हुए प्रकरण को निर्णित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

1 आर.आर.टी 2016(1) 689
2 आर.आर.टी 2015(2) 813
3 आर.आर.टी 2012(1) 719
4 आर.आर.टी 2012(1) 177

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि, प्रत्यर्थी सम्वत् 2012 से विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार रहा हैं, एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों को सही रूप से विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया हैं। जहां तक तनकीवार निर्णय पारित करने का प्रश्न है, तो जहां तथ्यों को सार रूप से विवेचित कर दिया हो तो इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर निर्णय अपास्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावें।

अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश कियेः—

1. सी.टी. 2012(2) 426
2. आर.आर.टी 2003(2) 1090
3. आर.आर.डी 1995 97
4. सी.टी. 2006(2) 221

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अद्यतन है जिसमें तनकीवार निर्णय आवश्यक माने गये है। निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थ आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि तनकीवार निर्णय पारित किया जावें। उभयपक्ष 3.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official